अनुदान संख्या 33 - वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 33 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted -					
मूल	Original	15891,94,00				
				16391,96,00	6511,61,12	-988034,88
पूरक	Supplementary	500,02,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9878,06,47
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	7814,00,00				
				14311,44,00	14311,42,98	-1,02
पूरक	Supplementary	6497,44,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹988034.88 लाख) नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹50002.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹988034.88 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹50002.00 lakhs obtained in November, 2011 and March, 2012 and constituted 60 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	7882.00			
			7279.77	7135.71	-144.06
पु.	R.	-602.23			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare					
मू.	O.	872661.00				
पू.	S.	1.00		169050.08	169049.08	-1.00
पु.	R.	-703611.92				
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions					
मू.	O.	588801.00				
पू.	S.	10000.00		340272.00	340270.42	-1.58
पु.	R.	-258529.00				
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals					
मू.	O.	50008.00				
पू.	S.	30000.00		60003.49	60003.48	-0.01
पु.	R.	–20004.51				
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions					
मू.	O.	67500.00				
पू.	S.	10001.00		72501.00	72500.00	-1.00
पु.	R.	-5000.00				

(I) ₹367500.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹367500.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - आरक्षित निधि को अंतरण - कृषकों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कृषक ऋण राहत निधि - 2008" - ₹200000.00 लाख पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे ।

(A) Major Head "2235"- "Other Social Security and Welfare Programmes-Transfer to Reserve Fund-Farmers Debt Relief Fund (FDRF) for implementation of Debt Waiver and Debt Relief Scheme for Farmers - 2008"- ₹200000.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous years.

(खा) मुख्य शीर्ष "2416" - "अन्य व्यय - दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना की बहाली" - ₹100000.00 लाख स्कीम के पुनरीक्षण के कारण थे।

(B) Major Head "2416"- "Other Expenditure – Revival of Long Term Cooperative Credit Structure"- ₹100000.00 lakhs - due to revision of the scheme.

(गा) मुख्य शीर्ष "3465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाएं - सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता" -

(क) "प्रतिभूति मोचन निधि" - ₹62500.00 लाख प्रतिभूति मोचन निधि में निधियों के अंतरण की लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन होने के कारण थे।

(ख) "वित्तीय समावेशन योजना के भाग के रूप में स्वाभिमान स्कीम के अंतर्गत 'नो फ्रिल्स' लेखों को खोलने के लिए बैंकों को वित्तीय सहायता" - ₹5000.00 लाख इस स्कीम के अन्य स्कीम के साथ सम्मिलित हो जाने के कारण थे ।

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड" - ₹250.41 लाख की बचत (₹1219.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "ऋण वसूली अधिकरण" - ₹462.41 लाख की बचत (₹4806.14 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और वेतन, कार्यालय खर्चों तथा किराया, दरों व करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "कृषकों के लिए ऋण राहत - ऋण राहत/कृषि कर्जों की माफी" -

(क) "कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम - 2008 के अंतर्गत ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से कर्जों से राहत/की माफी" - ₹482360.80 लाख की बचत (₹600000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम - 2008 के अंतर्गत ऋणदाता संस्थाओं को ब्याज की अदायगी" - ₹10854.12

(C) Major Head "3465"- "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions" –

(a) "Security Redemption Fund" - ₹62500.00 lakhs - due to modification in the accounting procedure for transferring of funds to Security Redemption Fund.

(b) "Financial support to the Banks for opening 'No Frills' accounts under Swabhiman Scheme as part of Financial Inclusion Plan (FIP)"- ₹5000.00 lakhs- due to subsuming the scheme with another scheme.

(II) Under Major Head "2070"- "Other Expenditure"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)"- saving of ₹250.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1219.30 lakhs); and

(B) "Debts Recovery Tribunals (DRTs)" – saving of ₹462.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4806.14 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards salaries, office expenses and rent, rates and taxes.

(III) Under Major Head "2235" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Debt Relief for Farmers- Debt Relief/Waiver of Agricultural Loans"-

(a) "Relief/Waiver of loans through lending Institutions against Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme - 2008" - saving of ₹482360.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 600000.00 lakhs); and

(b) "Payment of interest to lending institutions towards Agricultural Debt Waiver and Debt

लाख की बचत (₹28700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

Relief Scheme-2008" - saving of ₹10854.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28700.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नोडल अभिकरणों से कम दावों के प्राप्त हाने, स्कीम की कार्यान्वयन अवधि समाप्त हो जाने के कारण हुई ।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from Nodal Agencies, implementation period of the scheme being over.

(खा) "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम" -

(B) "Other Social Security and Welfare Programmes"-

(क) "सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन - असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को नई पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वालंबन स्कीम" - ₹18000.00 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत धीमी गति से नामांकन किए जाने के कारण हुई ।

(a) "Pension under Social Security Schemes - Swavalamaban Scheme to encourage people from unorganized Sector to join New Pension System (NPS)"- saving of ₹18000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs) was due to slow enrolment under the scheme.

(ख) "अन्य व्यय" -

(b) "Other Expenditure":-

(i) "समुदाय आधारित सर्वजन स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को अदायगी" - ₹640.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनियों से आर्थिक सहायता के कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(i) "Payment to Public Sector General Insurance Companies for Community based Universal Health Insurance Scheme"- saving of ₹640.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards subsidy from the Companies.

(ii) "वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान" - ₹1757.00 लाख की बचत (₹19961.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई ।

(ii) "Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens"- saving of ₹1757.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19961.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards subsidy to Life Insurance Corporation of India for pension plan for Senior Citizens.

(IV) मुख्य शीर्ष "2416" - "अन्य व्यय - कृषकों को लघु आवधिक उधार देने के लिए ब्याज सहायता" के अंतर्गत ₹158529.58 लाख की बचत (₹486800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) Under Major Head "2416" - "Other Expenditure - Interest Subvention for providing short term Credit to Farmers" - saving of ₹158529.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 486800.00 lakhs) ; and

(V) मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं - औद्योगिक वित्त संस्थाओं को सहायता - आवासीय कर्जों पर 1% ब्याज सहायता" के अंतर्गत ₹20000.00 लाख की बचत (₹50000.00

(V) Under Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Assistance to Industrial Financial Institutions- 1% interest subvention on Housing Loans"

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

- saving of ₹20000.00 lakhs (against the sanctioned provision of 50000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नोडल अभिकरणों से कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from Nodal Agencies.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹9999.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य बीमा स्कीमें - जनश्री बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹9999.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Insurance Schemes - Social Security Fund maintained by Life Insurance Corporation of India for Janshree Bima Yojana".

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3465" - "सामान्य वित्तीय संस्थाएं - आरक्षित निधि को अंतरण - प्रतिभूति मोचन निधि" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹62499.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक प्रावधान की तुलना में) प्रतिभूति मोचन निधि को निधियों के अंतरण के लिए लेखांकन प्रक्रिया में संशोधन होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Transfer to Reserve Fund - Security Redemption Fund"- excess of ₹62499.00 lakhs (against the token supplementary provision of ₹1.00 lakh) was due to modification of the accounting procedure for transferring of funds to Security Redemption Fund.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4416" कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "4416" Investments in Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	50000.00			
पू.	S.	40243.00	140243.00	140243.00	..
पु.	R.	50000.00			
मुख्य शीर्ष "4885" उद्योगों और खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4885" Other Capital Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	130000.00			
			80000.00	80000.00	..
पु.	R.	-50000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	601400.00			
पू.	S.	609500.00	1209500.00	1209499.98	-0.02
पु.	R.	-1400.00			
मुख्य शीर्ष "6885" उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	Major Head "6885" Other Loans to Industries and Minerals				
पू.	S.	1.00	1401.00	1400.00	-1.00
पु.	R.	1400.00			

(I) ₹1400.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "5465"- "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - विश्व बैंक की सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के अंतर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच में सुधार के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को विश्व बैंक की सहायता" के अंतर्गत एक मामले में इस स्कीम के अन्य स्कीम के साथ सम्मिलित हो जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(I) Provision of ₹1400.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Word Bank Assistance to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to improve access to Microfinance in India under World Bank assisted Microfinance Project"- due to subsuming the scheme with another scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "4416" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए सरकार के भाग का अंशदान" के अंतर्गत ₹9757.00 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों द्वारा आनुपातिक भाग जारी न किए जाने की वजह से केन्द्र सरकार का भाग जारी न होने के कारण हुई ।

(II) Under Major Head "4416"-"Investment in Public Sector and Other Undertakings- Contribution of Government's share for recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs)"-saving of ₹9757.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to non-release of Central Government share owing to non-release of proportionate share by some State Governments and sponsor banks.

(III) मुख्य शीर्ष "4885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड को इक्विटी सहायता" के अंतर्गत ₹50000.00 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

(III) Under Major Head "4885" - "Investment in Industrial Financial Institutions- Investment in Public Sector and Other Undertakings - Equity support to India Infrastructure Finance Company Ltd. (IIFCL)" -

की तुलना में) कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की वजह से संशोधित अनुमानों के चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

saving of ₹50000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to improvement in financial position of the Company.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹61157.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4. The above savings were partly (₹61157.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "4416" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - नाबार्ड के पूंजीगत भाग को अंशदान" - ₹59757.00 लाख ।

(I) Major Head "4416"- "Investment in Public Sector and Other Undertakings-Subscription to Share Capital of NABARD"- ₹59757.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "6885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को विश्व बैंक की सहायता" - ₹1400.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1399.00 लाख था।

(II) Major Head "6885" - "Loans to Industrial Financial Institutions - Loans to Public Sector and Other Undertakings - World Bank Assistance to Small Industries Development Bank of India (SIDBI)"- ₹1400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1399.00 lakhs.